

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 333/2024

अनवान : –

1. लाल मोहम्मद पुत्र अल्लादीन खां जाति नीलगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी


बनाम

1. अख्तर अली पुत्र रमजान अली जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. कुरशेद अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
3. कलिमा पत्नि जुलफकार जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
4. गुलाब अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
5. तसलीम पुत्री जुलफकार जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
6. दीवान खां पुत्र उमरदीन जाति अराई मु. निवासी दाणीअराईयान तहसील नोहर
7. नबीशेर पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. बाग अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
9. मदन लाल सैनी पुत्र कुम्भाराम सैनी जाति सैनी निवासी चक 23 एन.टी.आर तहसील नोहर
10. यासीन खां पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
11. रजाक मोहम्मद पुत्र उमरदीन जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
12. लियाकत अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
13. श्याम कौर पत्नि छोटासिंह उर्फ सरजीतसिंह जाति जटसिंख निवासी रामसरा तहसील नोहर फौत
3/1 जसवीर सिंह पुत्र श्यामकौर पत्नि छोटा सिंह जाति जटसिंख निवासी रामसरा तहसील नोहर
14. श्योकत अली पुत्र उमरदीन जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
15. साजिद अली पुत्र रमजान खां जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
16. सादक अली पुत्र बरयाम जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
17. हुशना पुत्री किमें खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
18. हसन खान पुत्र रजाक मोहम्मद जाति अराई मु. निवासी दाणीअराईयान तहसील नोहर
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी
निर्णय दिनांक: 15/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 28 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 139/139 की  तादादी 13.6620 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

रोही मौजा चक 28 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 139/139 की कुल तादादी 13.6620 हैक्टर भूमि में स्थित है। जिसमें वादी अ अकेला 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 अकेला 6073/546480 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 39851/683100 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेली 379/68310 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 6641/113850 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेली 569/34155 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 6073/273240 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 अकेला 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेला 6641/113850 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 अकेला 5/54 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अकेला 6641/113850 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 अकेला 6073/273240 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 अकेला 6641/113850 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 13 अकेली 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 अकेला 6073/273240 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15 अकेला 6073/546480 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 अकेला 7/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेली 5693/136620 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 अकेला 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त हक व हिस्सा ही जमाबन्दी में दर्ज है। दगस्त भूमि मुताबिक खाते की कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि को काश्त व सींव का हमेशा विवाद रहता है एवं वादगस्त भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण समय तनाजात बने रहते है एवं दिन वादी के साथ प्रतिवादीगण झगड़ा फसाद करते है तथा प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से की भूमि काश्त करने से रोकते रहते है, इसलिए वादी वादगस्त भूमि का अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी भूमि के अनुसार वादी प्रतिवादीगण से खाता व लगान अलग-अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग दर्ज करवापाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदा भूमि के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।


अतः वाद वादी घोषणा की जावें रोही मौजा चक 28 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 139/139 की कुल तादादी 13.6620 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1, 3, 5, 6, 11, 15, 17 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


उपजण्ड नजिस्ट्रेट
नोहर


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 28 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 139/139 की कुल तादादी 13.6620 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. नबीशेर पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. फेफाना खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फेफाना – प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 6/2/1 की 0.1135 हे. 7/1 की 0.1265 हे. 8/1 की 0.01265 है. कुल रकबा 0.3665 हे.
2. हसन खान पुत्र रजाक मोहम्मद हिस्सा पूर्ण जाति— अराई सा. ढाणीअराईयान खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका – प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 6/1 की 0.0250 हे. 6/2/2 की 0.1135 है. 7/2 की 0.1265 हे. 8/2 की 0.1265 है. कुल रकबा 0.3915 हे. भूमि
3. अख्तर अली पुत्र रमजानअली हिस्सा 1518/15180 कलिमा पत्नि जुलफकार हिस्सा 379/7590 तसलीम पुत्री जुलफकार हिस्सा—2276/15180 दीवानखां पुत्र उमरदीन हिस्सा 3036/15180 रजाकमोहम्मद पुत्र उमरदीन हिस्सा 3037/15180 श्योकतअली पुत्र उमरदीन हि0 3037/15180 साजिद अली पुत्र रमजान खां हि0 1518/15180 जाति अराई सा0 ढाणी अराईयान खातेदार – प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मु.न. 28 कि.न. 1/1 की 0.0250 है. 1/2 की 0.2280 हे. 2/1 की 0.0250 हे. 2/2 की 0.2280 हे. 9 की 0.2530. है, मु0न0 26 किला न0 24 व 25 की 0.506 हैक्ट, मु0न0 29 के किला न0 5 की 0.253 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट
4. जसवीर सिंह पुत्र श्यामकोर पत्नि छोटासिंह उर्फ सरजीतसिंह हिस्सा— पूर्ण जाति जट सिख सा. रामसरा खातेदार – प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 27 कि.न. 13/1 की 0.0250 हे. खाला 13/2 की 0.2280 हे. 14 की 0.2530 हे. 17 की 0.2530 हे. 18/1 की 0.0260 हे. 18/2 की 0.2270 हे. कुल रकबा 1.0120 हे. भूमि
5. लाल मोहम्मद पुत्र अल्लादीन खां हिस्सा पूर्ण जाति— नीलगर सा. नोहर खातेदार— प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मु.न. 26 कि.न. 14/1 की 0.0260 हे. 14/2 की 0.2270 हे. 15—16 की 0.5060 है. 17/1 की 0.0250 हे. 17/2 की 0.2280 है. कुल रकबा 1.0120 हे. भूमि
6. मदन लाल सैनी पुत्र कुम्भा राम सैनी हिस्सा—पूर्ण जाति— सैनी सा. 23 एनटीआर खातेदार – प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 3/2 की 0.2280 हे. 4/1 की 0.0250 हे. 4/2 की 0.2280 है. 5/1 की 0.0510 है. 5/2 की 0.2020 हे. मु.न. 27 कि.न. 16/2 की 0.2280 है. 25/2 की 0.2270 है. 15/2/2 की 0.0760 है. कुल रकबा 1.2650 हे. भूमि
7. कुरशेदअली पुत्र किमेखां हि0 797/8098 जाति मुसलमान सा. खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जसाना, गुलाबअली पुत्र किमेखां हिस्सा— 797/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा

जसाना, बागअली पुत्र किमेखां हिस्सा- 797/8098 जाति- मुसलमान सा. रामसरा खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जसाना, यासीनखां पुत्र किमेखां हिस्सा- 797/8098 जाति- मुसलमान सा. रामसरा खातेदार, लियाकत अली पुत्र किमेखां हिस्सा- 797/8098 जाति- मुसलमान सा. रामसरा, सादक पुत्र बरयाम हिस्सा 3544/8098 जाति- मुसलमान सा. रामसरा खातेदार, हुशना पुत्री किमेखां हिस्सा- 569/8098 जाति- मुसलमान सा. रामसरा खातेदार -प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 26 कि.न. 4/1 की 0.0260 हे. 4/2 की 0.2270 है. 5-6 की 0.5060 हे. 7/1 की 0.0250 हे. 7/2 की 0.280 हे. मु.न. 18 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. 16/2 की 0.2280 हे. 17 की 0.2530 है. 18/1 की 0.0250 है. 18/2 की 0.2280 हे. 19-21-22 की 0.7590 है. 23/1 की 0.0250 है. 23/2 की 0.2280 हे. 25/1 की 0.0250 है. 25/2 की 0.2280 हे. 24 की 0.2530 है. 25/1 की 0.0510 है. 25/2 की 0.2020 हे. मु.न. 27 की 1ता14 की 3.5420 हे. 15/1 की 0.0250 है. 15/2/2 की 0.1530 हे. 19-20-21-22 की 1.0120 है. 16/1 की 0.0250 हे. 25/1 की 0.0260 हे. मुन. 28 कि.न. 3/1 की 0.0260 है. कुल रकबा 8.0960 है. भूमि- प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 26 कि.न. 4/1 की 0.0260 हे. 4/2 की 0.2270 है. 5-6 की 0.5060 हे. 7/1 की 0.0250 हे. 7/2 की 0.280 हे. मु.न. 18 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. 16/2 की 0.2280 हे. 17 की 0.2530 है. 18/1 की 0.0250 है. 18/2 की 0.2280 हे. 19-21-22 की 0.7590 है. 23/1 की 0.0250 है. 23/2 की 0.2280 हे. 25/1 की 0.0250 है. 25/2 की 0.2280 हे. 24 की 0.2530 है. 25/1 की 0.0510 है. 25/2 की 0.2020 हे. मु. न. 27 की 1ता14 की 3.5420 हे. 15/1 की 0.0250 है. 15/2/2 की 0.1530 हे. 19-20-21-22 की 1.0120 है. 16/1 की 0.0250 हे. 25/1 की 0.0260 हे. मुन. 28 कि.न. 3/1 की 0.0260 है. कुल रकबा 8.0960 है. भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...15/05/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 333/2024

अनवान : -

1. लाल मोहम्मद पुत्र अल्लादीन खां जाति नीलगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. अख्तर अली पुत्र रमजान अली जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. कुरशेद अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
3. कलिमा पत्नि जुलफकार जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
4. गुलाब अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
5. तसलीम पुत्री जुलफकार जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
6. दीवान खां पुत्र उमरदीन जाति अराई मु. निवासी दाणीअराईयान तहसील नोहर
7. नबीशेर पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. बाग अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
9. मदन लाल सैनी पुत्र कुम्भाराम सैनी जाति सैनी निवासी चक 23 एन.टी.आर तहसील नोहर
10. यासीन खां पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
11. रजाक मोहम्मद पुत्र उमरदीन जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
12. लियाकत अली पुत्र किमे खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
13. श्याम कौर पत्नि छोटासिंह उर्फ सरजीतसिंह जाति जटसिंख निवासी रामसरा तहसील नोहर फौत
3/1 जसवीर सिंह पुत्र श्यामकौर पत्नि छोटा सिंह जाति जटसिंख निवासी रामसरा तहसील नोहर
14. श्योकत अली पुत्र उमरदीन जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
15. साजिद अली पुत्र रमजान खां जाति अराई मु. निवासी ढाणीअराईयान तहसील नोहर
16. सादक अली पुत्र बरयाम जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
17. हुशना पुत्री किमें खां जाति मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर
18. हसन खान पुत्र रजाक मोहम्मद जाति अराई मु. निवासी दाणीअराईयान तहसील नोहर
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 333 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 28 एन.टी. आर तहसील नोहर के खाता सं. 139/139 की कुल तादादी 13.6620 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. नबीशेर पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. फेफाना खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फेफाना - प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 6/2/1 की 0.1135 हे. 7/1 की 0.1265 हे. 8/1 की 0.01265 है. कुल रकबा 0.3665 हे.
2. हसन खान पुत्र रजाक मोहम्मद हिस्सा पूर्ण जाति- अराई सा. ढाणीअराईयान खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका - प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 6/1 की 0.0250 हे. 6/2/2 की 0.1135 है. 7/2 की 0.1265 हे. 8/2 की 0.1265 है. कुल रकबा 0.3915 हे. भूमि
3. अख्तर अली पुत्र रमजानअली हिस्सा 1518/15180 कलिमा पत्नि जुलफकार हिस्सा 379/7590 तसलीम पुत्री जुलफकार हिस्सा-2276/15180 दीवानखां पुत्र उमरदीन हिस्सा 3036/15180 रजाकमोहम्मद पुत्र उमरदीन हिस्सा 3037/15180 श्योकतअली पुत्र उमरदीन हि0 3037/15180 साजिद अली पुत्र रमजान खां हि0 1518/15180 जाति अराई सा0 ढाणी अराईयान खातेदार - प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 1/1


नोहर

Rahul

- की 0.0250 है. 1/2 की 0.2280 हे. 2/1 की 0.0250 हे. 2/2 की 0.2280 हे. 9 की 0.2530. है, मु0न0 26 किला न0 24 व 25 की 0.506 हैक्ट, मु0न0 29 के किला न0 5 की 0.253 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट
4. जसवीर सिंह पुत्र श्यामकोर पत्नि छोटासिंह उर्फ सरजीतसिंह हिस्सा— पूर्ण जाति जट सिख सा. रामसरा खातेदार — प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 27 कि.न. 13/1 की 0.0250 हे. खाला 13/2 की 0.2280 हे. 14 की 0.2530 हे. 17 की 0.2530 हे. 18/1 की 0.0260 हे. 18/2 की 0.2270 हे. कुल रकबा 1.0120 हे. भूमि
 5. लाल मोहम्मद पुत्र अल्लादीन खां हिस्सा पूर्ण जाति— नीलगर सा. नोहर खातेदार— प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मु.न. 26 कि.न. 14/1 की 0.0260 हे. 14/2 की 0.2270 हे. 15—16 की 0.5060 है. 17/1 की 0.0250 हे. 17/2 की 0.2280 है. कुल रकबा 1.0120 हे. भूमि
 6. मदन लाल सैनी पुत्र कुम्भा राम सैनी हिस्सा—पूर्ण जाति— सैनी सा. 23 एनटीआर खातेदार — प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 28 कि.न. 3/2 की 0.2280 हे. 4/1 की 0.0250 हे. 4/2 की 0.2280 है. 5/1 की 0.0510 है. 5/2 की 0.2020 हे. मु.न. 27 कि.न. 16/2 की 0.2280 है. 25/2 की 0.2270 है. 15/2/2 की 0.0760 है. कुल रकबा 1.2650 हे. भूमि
 7. कुरशेदअली पुत्र किमेखां हि0 797/8098 जाति मुसलमान सा. खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जसाना, गुलाबअली पुत्र किमेखां हिस्सा— 797/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जसाना, बागअली पुत्र किमेखां हिस्सा— 797/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जसाना, यासीनखाँ पुत्र किमेखां हिस्सा— 797/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा खातेदार, लियाकत अली पुत्र किमेखां हिस्सा— 797/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा, सादक पुत्र बरयाम हिस्सा 3544/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा खातेदार, हुशना पुत्री किमेखां हिस्सा— 569/8098 जाति— मुसलमान सा. रामसरा खातेदार —प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 26 कि.न. 4/1 की 0.0260 हे. 4/2 की 0.2270 है. 5—6 की 0.5060 हे. 7/1 की 0.0250 हे. 7/2 की 0.280 हे. मु.न. 18 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. 16/2 की 0.2280 हे. 17 की 0.2530 है. 18/1 की 0.0250 है. 18/2 की 0.2280 हे. 19—21—22 की 0.7590 है. 23/1 की 0.0250 है. 23/2 की 0.2280 हे. 25/1 की 0.0250 है. 25/2 की 0.2280 हे. 24 की 0.2530 है. 25/1 की 0.0510 है. 25/2 की 0.2020 हे. मु.न. 27 की 1ता14 की 3.5420 हे. 15/1 की 0.0250 है. 15/2/2 की 0.1530 हे. 19—20—21—22 की 1.0120 है. 16/1 की 0.0250 हे. 25/1 की 0.0260 हे. मुन. 28 कि.न. 3/1 की 0.0260 है. कुल रकबा 8.0960 है. भूमि— प.म. रामसरा के चक 28 एनटीआर के मुन. 26 कि.न. 4/1 की 0.0260 हे. 4/2 की 0.2270 है. 5—6 की 0.5060 हे. 7/1 की 0.0250 हे. 7/2 की 0.280 हे. मु.न. 18 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. 16/2 की 0.2280 हे. 17 की 0.2530 है. 18/1 की 0.0250 है. 18/2 की 0.2280 हे. 19—21—22 की 0.7590 है. 23/1 की 0.0250 है. 23/2 की 0.2280 हे. 25/1 की 0.0250 है. 25/2 की 0.2280 हे. 24 की 0.2530 है. 25/1 की 0.0510 है. 25/2 की 0.2020 हे. मु.न. 27 की 1ता14 की 3.5420 हे. 15/1 की 0.0250 है. 15/2/2 की 0.1530 हे. 19—20—21—22 की 1.0120 है. 16/1 की 0.0250 हे. 25/1 की 0.0260 हे. मुन. 28 कि.न. 3/1 की 0.0260 है. कुल रकबा 8.0960 है. भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक15/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर